# छत्तीसगढ़ की प्रथम विधान सभा
## पंचम सत्र

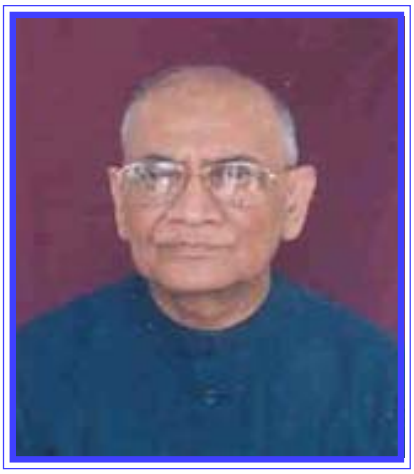

# श्री दिनेश नंदन सहाय

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

## अभिभाषण

दिनांक 18 फरवरी, 2002

**माननीय सदस्यगण,**

नववर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के पहले सत्र में, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ । बीते दिनों में मेरी सरकार ने अनेक साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिये और आप सभी के सहयोग से उन्हें अमल में लाकर जनता को तात्कालिक संकटों से यथाशीघ्र राहत दिलाई । वास्तव में वह एक ऐसा दौर था, जिसमें सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए नए राज्य के गठन के औचित्य को भी सिद्ध करना था । मुझे खुशी है राज्य के गठन के पश्चात यहां विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर जनता की बेहतरी के काम किए गए हैं । सरकार ने अपना ध्यान उन क्षेत्रों में सबसे पहले केन्द्रित किया, जहॉ वास्तविक जरूरतमंद तबके बेहतरी का इंतजार बरसों से कर रहे थे, जहॉ प्रचलित व्यवस्था में अनेक क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार की जरूरत थी बल्कि यह कहना उचित होगा कि छत्तीसगढ़ की विशेषताओं पर आधारित जनोन्मुखी सरकारी तंत्र की जरूरत थी, जनकल्याणकारी लोकनीतियों की जरूरत थी । संतोष का विषय है कि इस दौरान मेरी सरकार ने कारगर सरकारी ढांचा खड़ा किया, व्यापक जनभागीदारी से लोकनीतियां बनाई और संकल्पपूर्वक उन लोकनीतियों को अमलीजामा पहनाने में जुट गई । इस तरह राज्य में एक ओर जहां पिछड़े और आमजनों की बेहतरी की ठोस और असरदार शुरूआत हुई, वहीं दूसरी ओर राज्य के संसाधनों के सदुपयोग से आर्थिक क्रांति के नए दौर का भी सूत्रपात हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की ओर कदम बढ़ाना संभव हो सका है।

2. आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ के सालाना मौसम चक्र में प्राकृतिक घटनाओं और उसकी आकस्मिकता की बड़ी भूमिका होती है । विगत वर्ष जहां कब बारिश और सूखे की चुनौती थी, वहीं इस वर्ष अधिक बारिश और मुख्य फसल धान की बहुत अच्छी पैदावार भी एक चुनौती बनी । मेरी सरकार ने सही समय पर यह आकलन किया कि यदि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं की गई तो सही दाम नहीं मिलने पर हमारे किसान आर्थिक दुष्चक्र में फंस जाएंगे और इसका विपरीत असर लंबे समय तक किसानों के जीवन को कष्टमय बना देगा । सरकार ने शीघ्रता से फैसला लिया कि वह किसानों की मेहनत और अच्छी फसल का सम्मान करेगी । इस तरह मेरी सरकार ऐसा ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेने वाली तथा स्वयं के वित्तीय जोखिम पर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदने वाली एक मात्र राज्य सरकार बनी । केन्द्र शासन से सहायता की प्रत्याशा में रिजर्व बैंक से 1500 करोड़ रूपये के ऋण की स्वीकृति प्राप्त की गई है, लेकिन किसानों को बेसहारा छोड़ने के बजाय इस फैसले से होने वाले घाटे से निपटने के लिए कठोर आर्थिक कदम उठाना भी सरकार ने मंजूर किया और प्रदेश के वास्तविक किसानों से 16 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है।

3. विगत सत्र में मैंने किसानों और गांवों की बेहतरी की प्राथमिकता का जिक्र किया था । मेरी सरकार ने इस दिशा में बहुआयामी काम किए हैं । ऐसे स्थानों पर जहां धान की फसल की उत्पादकता कब है तथा अन्य अधिक लाभकारी फसलों से किसानों को आर्थिक लाभ हो सकता है, उन स्थानों पर भूमि, जलवायु

तथा बाजार की अनुकूलता के अनुसार करीब दो लाख हेक्टेयर भूमि में फसल चक्र परिवर्तन कराया गया। किसानों को फसल चक्र परिवर्तन के लिए प्रेरित करने निःशुल्क सिंचाई सुविधा प्रदान करने का काम भी शुरू किया गया है । बस्तर जिले में उद्यानिकी विकास की 35 लाख रूपये की योजना पर अमल भी प्रारंभ किया जा चुका है । राज्य में कृषि को ज्ञान और सम्मान से भी मजबूत करते हुए इसे आकर्षक बनाया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी खेती को सिर्फ पारम्परिक कार्य ही नहीं माने, बल्कि इसे रोजगारपरक, तकनीकी, आधुनिक, सम्मानजनक और लाभदायक कार्य के रूप में जाने। इस सिलसिले में बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 3 शासकीय कृषि महाविद्यालय शुरू किए जा चुके हैं । निजी क्षेत्र में भी 2 कृषि महाविद्यालय तथा एक उद्यानिकी–कृषि महाविद्यालय शुरू कर दिए गए हैं।

4. मेरी सरकार ने राज्य में विगत वर्ष के विकराल सूखे से खेतिहर मजदूरों और किसानों को राहत दिलाने के लिए जिस पैमाने पर कार्य किया था वह तो एक ऐतिहासिक कीर्तिमान बना ही, लेकिन अच्छी फसल होने के बाद भी काम की तलाश में बाहर जाने की मजबूरी से निजात दिलाने के लिए विशेष इलाकों में राहत कार्य सतत् चलाने का दूरदर्शी फैसला भी लिया । इस तरह फसल कटाई के बाद खेतिहर मजदूरों को काम की तलाश में बाहर जाने से रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर, उसे अमल में लाया गया है । पलायन संभावित 104 विकासखंडों की पहचान कर 14 हजार 512 निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं, जिसमें 3,78,000 मजदूरों को काम दिया जा रहा है । ऐसे ही सुविचारित प्रयासों के तहत अल्पवर्षा से हर साल अकाल का सामना करने वाले वृष्टि छाया क्षेत्रों के किसानों को इस दुष्चक्र से निकालने के लिए मेरी सरकार ने एक नई योजना '' इंदिरा खेत गंगा '' शुरू की है । जिसके तहत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा और बिलासपुर जिले के 21 विकासखंडों का चयन किया गया है। योजनानुसार इस वर्ष 1600 किसानों को नलकूप खनन के लिए प्रति किसान 25 हजार रू. का अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रति किसान 43 हजार रू. का अनुदान दिया जाएगा। आगामी 2 वर्षों में 3 हजार से अधिक नलकूप इस योजना के तहत खोदे जाएंगे। इस योजना की सफलता को देखकर अब इसे प्रदेश के अन्य सूखा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना है।

5. मेरी सरकार ने सहकारिता को सार्थक सामाजिक–आर्थिक आंदोलन बनाने की दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं, उसके फलस्वरूप राज्य का पहला शक्कर कारखाना कवर्धा जिले मे राम्हेपुर गांव में स्थापित करने की तैयारियाँ जोरों पर हैं । स्थल चयन के अलावा शक्कर उत्पादन के लिए आवश्यक उन्नत किस्म के गन्ने की बुआई का काम सोनबरसा गांव में किया जा चुका है । मशीनों तथा उपकरणों की खरीदी के लिए निविदा प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है । अब इस कारखाने से लाभान्वित होने वाले गांवों तथा किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं । प्रदेश में पहले 6 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 4 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक थे, जिनका पुनर्गठन कर अब राज्य में 15 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और 9 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो गए हैं । इस तरह किसानों

की सुविधा के लिए गांव–गांव में सहकारी बैंकों का जाल फैला दिया गया है । प्रदेश में तीन अन्य क्षेत्रों में भी शक्कर कारखाना खोलने की पहल की जा रही है।

6. किसानों को खाद, बीज, तकनीकी, उपकरण, प्रशिक्षण तथा आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना '' राजीव किसान–मितान '' विभिन्न प्रचलित कार्यक्रमों के समन्वित स्वरूप तथा सुविधा के कारण किसानों के बीच लोकप्रिय हुई है । इसके अंतर्गत गांव–गांव में शिविरों–संगोष्ठियों का दौर जारी है, वहीं फसल बीमा योजना के तहत 82 करोड़ रूपये का भुगतान 4,16,885 किसानों को किया जा चुका है।

7. मेरी सरकार ने पशुपालन को कृषि अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है, इसलिए पशुपालन को अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा देने के लिए कारगर कदम उठाए हैं । पशुओं की नस्ल में सुधार हेतु '' घर पहुंच कृत्रिम गर्भाधान '' व्यवस्था की जा रही है । 10.42 करोड़ रूपये की इस परियोजना में प्रथम चरण के रूप में 5.52 करोड़ रूपये की लागत से एक '' अत्याधुनिक वीर्य बैंक '' की स्थापना अंजोरा, जिला दुर्ग में की गई है । दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के लिए 34.40 लाख रूपये की लागत से आधुनिक डेयरी प्रयोगशाला की स्थापना भी की जा रही है । प्रदेश के कुक्कुट प्रक्षेत्रों में ''लो–इनपुट टेकनॉलॉजी '' के माध्यम से उन्नत कुक्कुट पालन के लिए 45 लाख रूपये की परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

8. गांवों के विकास के लिए ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने व साझा ग्राम संसाधनों को विकसित करने मेरी सरकार ने तेन्दूपत्ता के व्यापार से होने वाले शुद्ध लाभ का 70 प्रतिशत संग्राहकों को बोनस के रूप में तथा 15 प्रतिशत राशि समितियों को देने का निर्णय लिया है । समितियों के सहयोग से 15 प्रतिशत राशि वनों एवं वनोपज के विकास पर व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ में राज्य पक्षी तथा राज्य पशु के संरक्षण के लिए '' परियोजना पहाड़ी मैना '' तथा '' परियोजना पहाड़ी भैंसा '' शुरू की जा रही है । वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य का गठन किया गया है, जिससे राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अन्य प्राणी अभ्यारण्य हो गए हैं । केन्द्र से अनुमति प्राप्त हो जाने से वनों के विदोहन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे आदिवासियों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हुए हैं । वनों में बांस तथा लकड़ी कटाई के अतिरिक्त वृक्षारोपण तथा अन्य कार्यों के जरिये रोजगार जुटाया जा रहा है । इस तरह से मेरी सरकार ने वन, वन्य प्राणियों तथा इससे जुड़े लोगों की बेहतरी के ठोस कदम उठाए हैं।

9. मेरी सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम हाथ में लिया, जिससे सिंचाई क्षमता में 50 हजार हेक्टेयर की वृद्धि की जा चुकी है । इसके अलावा हसदेव बांगो, जोंक व्यपवर्तन, शिवनाथ व्यवपवर्तन जैसी तीन बड़ी

परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। नाबार्ड से ऋण प्राप्त 92 अपूर्ण सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं, वहीं 41 अपूर्ण योजनाओं के लिए नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं। समोदा में 151 करोड़ रूपए लागत की राजीव व्यपवर्तन परियोजना के प्रथम चरण के लिए 64.77 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है और इसके तहत सर्वेक्षण का कार्य जारी है। बगड़ी कला, बढ़ई खेलका, छेरी छापर, गंगपुर तालाब और खेरण्डी योजना का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा एक वृहद महानदी जलाशय परियोजना समूह एवं तीन मध्यम परियोजनाओं यथा कोसारटेड़ा, बरई नाला तथा सुतियाघाट जलाशय परियोजना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित की गई है। इस तरह राज्य में सिंचाई परियोजनाओं का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके परिणाम निकट भविष्य में प्राप्त होंगे।

10. मेरी सरकार का मानना है कि शुद्ध पेयजल तथा निस्तार के लिए यथोचित पानी उपलब्ध कराना न सिर्फ हमारे गांवों की अनिवार्य जरूरत है, बल्कि जनता की अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बसाहटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में मान से पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में अभी तक 4,157 बसाहटों में इंतजाम किए जा चुके हैं और 821 बसाइटों में यह काम शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा । मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई '' इंदिरा गांव गंगा '' अपने प्रारंभिक चरण में 5,113 तालाबों को भरकार भीषण गर्मी में अपनी सार्थकता सिद्ध कर चुकी है । तीन वर्षो में राज्य के सभी 18,070 विद्युतीकृत गांवों में इस योजना के तहत तालाबों के किनारे एकीकृत जल स्त्रोत विकसित किए जाएंगे, जो शुद्ध पेयजल के साथ ही निस्तार का पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएंगे । पारंपरिक जल स्त्रोतों के उन्नयन की 5 वर्षीय योजना प्रारंभ की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत राज्य के समस्त विकासखंडों में तालाबों का गहरीकरण और घाट निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है।

11. मेरी सरकार ने राज्य में उपलब्ध प्राकृति संसाधनों तथा भौगोलिक अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास के जो ठोस कदम उठाए हैं, उससे पूंजी निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हो रही है । बेहतर प्रशासन और बेहतर अधोसंरचना पर आधारित नई औद्योगिक नीति ने देश के अन्य राज्यों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भी आकर्षित किया है । गुजरात और दिल्ली की राज्य सरकारों सहित करीब एक दर्जन संस्थाओं से ऊर्जा और इस्पात उद्योगों की स्थापना के लिए करारनामें किए गए हैं । भिलाई में अंतरराष्ट्रीय गेटवे की स्थापना के साथ ही '' साफ्टेवयर तकनीकी पार्क '' की स्थापना की जा चुकी है, इस तरह भिलाई, रायपुर और दुर्ग को शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर इकाइयों के लिए अधिसूचित किया गया है । यह कहना उचित होगा कि इससे छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की शुरूआत भी हुई है।

12. मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को न सिर्फ कारोबार बढ़ाने का जरिया बनाया है, बल्कि विकास की दौड़ में पिछड़ेपन को, तीव्र विकास में बदलने की अत्याधुनिक

तकनीक के रूप में उपयोग करते हुए, आम लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठाने का माध्यम भी बनाया है। इस सिलसिले में '' गांव ला चलव '' लोक अभियान की महती भूमिका होगी, जिसके माध्यम से गांव–गांव में संसाधनों का लेखा–जोखा बनाने से लेकर, गांव के विकास की योजनाएं स्वयं गांव वालों द्वारा बनाई जाएंगी। इस तरह से यह अभियान गांववासियों को अपना भाग्य–विधाता स्वयं बनाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा । वहीं इस अभियान से बनाई गई गांव–गांव की जन रपट, जब पूरे छत्तीसगढ़ की जन रपट का रूप लेगी, तो यह सबसे प्रामाणिक मानव विकास और संसाधनों का दस्तावेज भी बनेगी। छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन प्रणाली और प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियां '' गांव ला चलव '' अभियान के माध्यम से प्राप्त होंगी।'' इंदिरा सूचना शक्ति '' से लाभान्वित हो रही छात्राओं द्वारा इन जानकारियों का संकलन किया जाएगा।

13. छत्तीसगढ़ के गांवों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने और फिर इसके माध्यम से, उनसे संबंधित प्रशासनिक सुविधाएं कम्प्यूटर पर उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है । मरवाही, बिलासपुर और जगदलपुर जनशिकायत निवारण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से प्रयोग से सशक्त करने के उद्देश्य से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सफल शुरूआत इसकी ताजा मिसालें हैं । इस तरह से '' चॉइस '' (छत्तीसगढ़ ऑन लाइन इनफारमेशन फॉर सिटीजन इम्पॉवरमेनट) परियोजना ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया है और राज्य में पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिकी प्रशासन व्यवस्था कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । इसी तरह राजस्व संग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए समस्त वृत्तों और संभागीय कार्यलयों में कम्प्यूटर लगाकर उन्हें नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है तथा जांच चौकियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी किया जाएगा । राज्य मंत्रालय में लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है।

14. राज्य के प्रमुख आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर के औद्योगिक विकास के लिए एक ओर जहां राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के '' रोमेल्ट प्रक्रिया आधारित इस्पात संयंत्र '' की स्थापना हेतु मेरी सरकार आवश्यक सहायता दे रही है । फैरोएलॉयज उद्योगों को मंदी से उबारने और बंद उद्योगों में प्राण फूंकने के लिए रियायती दरों पर बिजली देने के फैसले से उद्योग जगत में नव–स्फूर्ति का संचार हुआ है तथा हजारों लोगों को रोजगार मिलने का इंतजाम भी हुआ है।

15. मेरी सरकार के प्रयासों से औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को साकार करने और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विधान सभा के विगत सत्र में '' छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक '' लाया गया था, जिसके तहत जिला एवं संभाग स्तर पर निवेश प्रोत्साहन समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो ''निवेशक संपर्क केन्द्र '' होंगे। इस विचाराधीन विधेयक से निवेशकों को भूमि, विद्युत, जल, श्रम कल्याण व अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी समस्त अनुमोदन निश्चित समय सीमा में मिलेंगे और निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारियाँ भी तय होंगी । सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से औद्योगिक

क्षेत्रों की स्थापना, निर्यात संवर्धन, औद्योगिक पार्क, जेम और ज्वेलरी पार्क, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र और जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना को मेरी सरकार प्रोत्साहित करेगी । पेण्ड्रारोड के समीप ग्राम अंजनी में रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, राजनांदगांव जिले में फूड पार्क और बस्तर जिले में एग्रोपार्क की स्थापना की जा रही है । राज्य में 786 एकड़ राजस्व भूमि की पहचान औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कर ली गई है । इसके अलावा समस्त जिलों में संभावित निवेश सर्वेक्षण एवं परियोजना प्रतिवेदन भी बनाए जाएंगे, ताकि राज्य के छोटे उद्यमी भी इसके आधार पर उद्योग लगा सकें । पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में ''उद्योग संवर्धन और सहायता समितियों '' का गठन किया जा चुका है । मेरी सरकार के प्रयासों से राज्य में जो पूंजी निवेश का वातावरण बना है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वातावरण निर्माण को अब प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राज्य में पूंजी लगाने वाले निवेशकों को शासकीय तंत्र तथा स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त हो।

16. छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास के लिए टास्कफोर्स तथा छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का गठन किया गया है । शासकीय विभागों और उपक्रमों में हाथकरघा वस्त्रों की ही खरीदी करने के फैसले से करीब 42,000 बुनकरों को लाभ मिलने की शुरूआत हुई है । जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा वित्तपोषित 7 वर्षीय छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना के तहत लगभग 3300 हेक्टेयर क्षेत्र में टसर पौध रोपण किया जा चुका है । इस तरह 117.16 करोड़ रूपये की यह परियोजना बिलासपुर संभाग में आकार लेने लगी है । पौध रोपण के कार्य से 127 स्वसहायता समूहों की 4,104 महिलाओं को लाभ मिला है । राज्य में इस वर्ष पालित कोसा फल का उत्पादन विगत वर्ष से करीब 25 फीसदी अधिक हुआ है, वहीं नैसर्गिक कोसा फल उत्पादन भी अधिक हुआ है। इस तरह कोसा फल उत्पादन और संग्रहण से 20,744 आदिवासी हितग्राही लाभाविन्वत हुए हैं। आदिवासी तथा ग्रामीण हस्तशिल्प, मरवाही शिल्प, बस्तर का बेल मेटल जैसी विशिष्ट कलात्मक वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए महानगरों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, यह सिलसिला जारी रखा जाएगा। देश की राजधानी में हमारे हस्तशिल्प और हाथकरघा के स्थाई रूप से प्रचार, प्रदर्शन और विक्रय की व्यवस्था भी की गई है।

17. मेरी सरकार ने राज्य में लगने वाले उद्योगों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन अपने ही राज्य में तैयार करने की रोजगारपरक योजना भी बनाई है, जिसके तहत '' व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद '' का गठन तथा '' मानव संसाधन विकास कोष '' की स्थापना की जाएगी । आगामी पांच वर्षों में 30 करोड़ रूपये का '' प्रौद्योगिक प्रौन्नति कोष '' भी बनाया जाएगा।

18. मेरी सरकार का यह स्पष्ट मत है कि अच्छी सड़कों के बिना विकास की मंजिल तय नहीं की जा सकती, इसलिए राज्य स्तर पर वर्ष 2002–2003 को '' सड़क–वर्ष '' के रूप में मनाने का फैसला किया गया है । इस दौरान राज्य की सभी सड़कों को यातायात के लिए सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया है,

ताकि सभी विकासखण्डों, तहसीलों व जिला मुख्यालयों को कृषि उपज मंडी, खनिज क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन केन्द्रों से जोड़ा जा सके । 5 जिला मार्गों को राज्य मार्ग घोषित किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में राज्य मार्गों की संख्या 9 से बढ़ कर 14 हो गई है । नई सड़क नीति के तहत राज्य में 2960 कि.मी. लम्बे 2 उत्तर–दक्षिण एवं 4 पूर्व–पश्चिम कॉरीडोर का नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है । सभी ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए एक मास्टर प्लान बनाकर नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है।

19. राज्य में निजी पूंजी निवेश से 9 प्रमुख मार्गों का उन्नयन करने की योजना के तहत रायगढ़–पत्थलगांव सड़क के प्रारंभिक चरण का कार्य पूरा हो चुका है और टोल टैक्स वसूल करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है । इसके अलावा नांदघाट–भाटापारा, बलौदाबाजार–बिलासपुर तथा कटघोरा–कोरबा मार्ग निर्माण की निविदा स्वीकृत की गई है । यह कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा । रायपुर–भिलाई के बीच फोरलेन सड़क निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की तैयारी है । केन्द्रीय सड़क निधि से 15 सड़कों के सुधार–निर्माण हेतु 66 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कराई गई है, यह कार्य वर्ष 2002–2003 में पूरा किया जाएगा । इसके अलावा 15 अन्य सड़कों के लिए 65 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भेजे गए हैं, स्वीकृति उपरांत ये कार्य आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य हैं । व्यस्त और सघन रेल समपारो पर रेल्वे ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने की योजना भी तैयार की गई है।

20. ग्रामीण सड़कों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना के तहत 1266 कि.मी. लम्बी 275 सड़कों के लिए 184.45 करोड़ रूपये के प्रस्ताव केन्द्र को भेजकर स्वीकृति प्राप्त की गई है, यह कार्य गुणवत्तापूर्वक कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 112 सड़कों को सुनियोजित ढंग से 17 समूहों में बांटकर निविदा प्रक्रिया पूरी की गई और इनमें से 11 समूहों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । यह सभी कार्य पूर्ण करने के लिए समय सीमा तय की गई है।

21. नए राज्य की विश्वस्तरीय नई राजधानी बसाने को मेरी सरकार ने काफी गंभीर जिम्मेदारी के रूप में समझा है । यह गर्व की बात है कि अल्प समय में ही गहन परीक्षण और विश्वस्तरीय विशेषज्ञों की मदद से रायपुर के समीप राजधानी क्षेत्र चयन का कार्य सुनियोजित, पारदर्शिता, विश्वसनययता और उपयुक्तता के आधार पर हुआ है । अंतिम रूप से स्थल चयन करते समय केवल न्यूनतम अपरिहार्य विस्थापन और अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग किए जाने का विशेष ध्यान मेरी सरकार रखेगी । राजधानी विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है और वर्तमान रायपुर शहर में नगर निगम और विकास प्राधिकरण की दोहरी व्यवस्था समाप्त करते हुए संविधान की मंशा के अनुरूप निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्राधिकरण का नियंत्रण सौंपा गया है । रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, कोरबा और जगदलपुर शहरों के समुचित और समन्वित विकास की योजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं एवं सारंगढ़, भाटापारा, कांकेर, रायगढ़, चांपा तथा धमतरी की विकास योजनाएं बनाने का काम पूर्णता की ओर है।

22. एक ओर जहॉ राज्य के तीव्र औद्योगिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं । ठोस अपशिष्ट के रीसाईकिलिंग के लिये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा के स्थानीय निकायों द्वारा योजना बनाई जा रही है । राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अनुसार प्रमुख शहरों के निकट नदियों के पानी को प्रदूषित होने से रोकने की वृहद योजना भी तैयार की जा रही है । रायपुर शहर में अधोसंरचना विकास के तहत 40 करोड़ रूपये की लागत से रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण, पेयजल व्यवस्था, मार्ग चौड़ीकरण, भूमिगत नाली जैसे अनेक कार्य प्रगति पर हैं । रायपुर को हरा–भरा बनाने के लिए 5 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

23. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास का लाभ आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए लेने हेतु '' छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद '' का गठन किया गया है । इस परिषद को '' राष्ट्रीय हरित वाहिनी '' कार्यक्रम के तहत राज्य की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है । कार्यक्रम के तहत राज्य की 1600 शालाओं में ईको–क्लबों की स्थापना तथा 80,000 सदस्यों की राष्ट्रीय हरित वाहिनी गठित की जा रही है।

24. मेरी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्धन एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये हैं । नई नगरीय विकास की नीति के तहत शहरी गरीबों को स्वच्छ और सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार आवास निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है । समन्वित शहरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से वाल्मीकि–अम्बेडकर आवास योजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है । इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में बसने वाले 2.99 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है । गरीबी उन्नयन एवं विकास कार्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय सामुदायिक संगठन स्थापित किये गये हैं । जिसके तहत प्रदेश में अब तक कुल 8,492 पड़ोसी समूह, 794 मोहल्ला समिति एवं 93 सामुदायिक विकास समितियों का गठन कर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

25. बिजली की ऊर्जा को आम आदमी की शक्ति बनाने के प्रयासों में मेरी सरकार ने एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। चाहे ग्रामीण किसान हों यो उद्योगपति–कारोबारी लोग,चाहे विद्यार्थी हो या गृहस्थ, राज्य का हर नागरिक विद्युत व्यवस्था में सुधार से लाभान्वित हुआ है । बीते एक वर्ष में 16 गांवों और 876 मजरा टोलों का विद्युतीकरण, अति उच्चदाब 132/33 के.व्ही. क्षमता के 3 उपकेन्द्रों और उनकी लाइनों की स्थापना की गई तथा अन्य 9 का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहे हैं । इसी तरह 33/11 के.व्ही. क्षमता के 19 उपकेन्द्रों एवं लाइनों की स्थापना भी की गई है । राज्य में विद्युत वितरण की अधोसंरचना के विकास हेतु 11 के.व्ही. क्षमता की 275 कि.मी. लाइनें, निम्नदाब की 2450 कि.मी. लाइनें, उच्चदाब के 19 उपकेन्द्रों की स्थापना, 68 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, निम्न दाब के 885 उपकेन्द्रों की स्थापना और 846 की क्षमता वृद्धि जैसी उपलब्धियों की सूची काफी लंबी है । इस अवधि में किसानों के 11063 सिंचाई पंपों के लिए कार्य पूर्ण

किये गये तथा 5120 एकल बत्ती कनेक्शन भी दिये गए । इस तरह लगभग 98 करोड़ रूपये की राशि इन विकास कार्यों में खर्च की गई । यह उपलब्धियां जनता की बेहतरी के लिए मेरी सरकार ने सघन प्रयासों से प्राप्त की है । छत्तीसगढ़ को ऊर्जा राज्य बनाने के संकल्प का यह सार्थक प्रतिफल है । इतना ही नहीं आगामी एक वर्ष में 187 करोड़ रूपये की लागत से 220/132 के.व्ही. क्षमता का एक उपकेन्द्र, 132/11 के.व्ही. क्षमता के 8 उपकेन्द्र, 33/11 के.व्ही. क्षमता के 54 उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है । 94 गांवों का विद्युतीकरण, 8801 पंपों के लिए लाइन बिछाना जैसे संकल्प यह बताते हैं कि आने वाले वर्ष में वर्तमान से 4–5 गुना अधिक बड़े लक्ष्य की ओर हमारे कदम बढ़ गए हैं।

26. राज्य में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 67.9 प्रतिशत संयंत्र उपयोगिता घटक प्राप्त किया गया, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक है । इस वित्तीय वर्ष हेतु मण्डल ने 70 प्रतिशत संयंत्र उपयोगिता घटक का लक्ष्य रखा है । कोरबा स्थित विद्युत गृह की पुरानी इकाईयों के नवीनीकरण का कार्य लगभग 375 करोड़ रू. की लागत से किया जा रहा है, जिसके पूर्ण हो जाने के पश्चात् लगभग 900 मिलियन यूनिट विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन हो सकेगा । निजी क्षेत्रों के सहयोग के अलावा स्वयं राज्य विद्युत मण्डल द्वारा 500 मेगावॉट का ताप विद्युत गृह कोरबा में एवं 10 मेगावॉट जल विद्युत गृह की स्थापना करना प्रस्तावित है।

27. छत्तीसगढ़ में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन किया गया था । इस वर्ष प्रदेश में 1600 बायोगैस एवं 15,000 उन्नत चूल्हों, 36 हजार लीटर क्षमता के सौर गर्म संयंत्र, 550 सोलर कुकर व 8 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जायेगा । फर्नेस ऑयल व कोयले से चलने वाले बॉयलर को गैसी फायर के माध्यम से चलाने का अनूठा सफल प्रयोग छत्तीसगढ़ में किया गया है । रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन को ऊर्जा शिक्षा पार्क के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रगति पर है । लघु जल विद्युत परियोजनाओं की असीम सम्भावनाओं को देखते हुए एक वृहद् राज्य स्तरीय मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है । मेरी सरकार का लक्ष्य है कि आगामी पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रदेश का कोई भी गांव अविद्युतीकृत न रहे । प्रदेश के लगभग 1600 ग्रामों में सघन वनों के कारण पारम्परिक साधनों से बिजली पहुंचाना संभव नहीं है, इन सभी ग्रामों को सौर जैसे वैकल्पिक स्त्रोतों से विद्युतीकृत किये जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है । प्रथम चरण में बस्तर सम्भाग के भोपालपट्टनम व उसूर विकासखण्डों के 90 ग्रामों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । लगभग 50 ग्रामों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष 40 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य वर्षांत तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

28. जनस्वास्थ्य को उच्चतम प्राथमिकता देकर मेरी सरकार ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की मुहिम छेड़ी है । इस बहुआयामी मुहिम के तहत एक ओर जहां बिलासपुर में नया चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया गया, वहीं दूसरी ओर पेंड्रारोड, बिलासपुर, जगदलपुर में तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्य वाले तीन

चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, जो ग्रामीण अंचलों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं सघन करने के माध्यम बनेंगे। रायगढ़ में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय तथा दंत–चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही भी जारी है। रायपुर स्थिति राज्य के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। रायपुर स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय को '' राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान '' के रूप में उन्न्त करने तथा शासकीय आयुर्वेद फॉर्मेसी को सुदृढ़ बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। इस तरह ग्रामीण तथा अत्याधुनिक चिकित्सा केन्द्रों का जाल बिछाया जा रहा है। अधिकतर जिलों में पैरामेडिकल एवं वैकल्पिक चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में '' होलिस्टिक '' प्रणालियों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। कांकेर, कोरिया, कवर्धा और दंतेवाड़ा में जिला चिकित्सालय शुरू किया जा रहा है । चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 352 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है, वहीं आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति के अधिकार पंचायतों को दिए जा रहे हैं, ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकें।

29. मेरी सरकार ने राज्य में बीमारियों की जड़ों तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रोग की खोज, निवारण तथा जागरूकता अभियान चलाया है। ये अभियान अलग–अलग तरह की जरूरतों के लिए विशेष रूप से लक्षित कर सतत् रूप से चलाये जा रहे हैं। इस कड़ी में महामारी नियंत्रण, कुष्ठ खोज तथा उपचार अभियान, बच्चों को खसरा–पोलियो सहित सात तरह की बीमारियों से बचाने वाला इंद्रधनुष अभियान, स्वस्थ युवा मेलों की सफलताएं उल्लेखनीय रही हैं इतना ही नहीं सामुदायिक भागीदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल '' राजीव जीवन रेखा '' तथा '' मितानिन '' हैं, जो सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करेंगी । '' राजीव जीवन रेखा कोष '' से एक ओर जहॉ राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को प्राथमिक, मध्यम तथा सर्वोच्च स्तर की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर '' मितानिन '' गांव के लोगों द्वारा चुनी गई और शासन द्वारा प्रशिक्षित वह सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगी, जिसकी सेवाओं का प्रतिफल गांव वालों द्वारा ही एकत्रित राशि से ही दिया जाएगा। इस तरह मेरी सरकार ने जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुस्तरीय और कारगर रणनीति पर अमल प्रारम्भ किया है।

30. गांवों के विकास और इसमें पंचायतों की भागीदारी को स्पष्ट तथा कारगर बनाने के लिए मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। पंचायतों के वित्तीय अधिकार को 2 लाख रू. से बढ़ाकर 5 लाख रू. करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नागरिक आपूर्ति जैसे जनता से सीधे संबंध रखने वाले सरकारी विभागों के अनेक अधिकार पंचायतों को देने का मतलब, वास्तव में प्रशासन की कमान सीधे जनता के हाथों में सौंपना है । जनभागीदारी से विकास की अवधारणा को अमल में लाने की एक ताजा मिसाल '' जनसहभागिता नियम '' है, इसके तहत किसी इलाके के लोग यदि मानव श्रम या राशि का सहयोग निर्माण कार्यों में देना चाहते हैं, तो वे नजदीकी स्थानीय संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय संस्था द्वारा यह प्रस्ताव कलेक्टर या मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेज दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में शासन सामान्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 75 प्रतिशत अनुदान देगा। इस तरह ग्राम पंचायतों व नगर

निकायों की मूलभूत सेवाओं से संबंधित जनोपयोगी विकास कार्य के लिए संसाधन जुटाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । जिला स्तर पर गठित निर्माण समिति में जनसहयोग देने वाले लोगों के दो प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकाय या पंचायत का एक प्रतिनिधि होगा। इस तरह लोक नीति निर्माण से लेकर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों तक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की प्रणाली कायम की गई है।

31. गांवों में सुख और शांति के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर पट्टा देने के बड़े ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम को अंजाम दे रही है । ग्रामीणों की आबादी भूमि संबंधी परेशानियों को समझकर उसका उचित हल निकालना जनहित का बहुत बड़ा कदम है। प्रचलित व्यवस्था में गांवों में धारित आबादी भूमि यद्यपि भूमि स्वामी हक पर आधारित है, किन्तु उसका कोई इंद्राज पटवारी अभिलेख में नहीं रहता था, जिसके कारण आबादी भूमि के धारकों को बैंकों से गृह निर्माण या अन्य कारणों के लिए ऋण नहीं मिलता था । स्वामित्व अभिलेख के अभाव में भूमि धारकों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत 18,421 गांवों का सर्वेक्षण कर इनमें से 16503 ग्रामों के आबादी अभिलेख तैयार किये जा चुके हैं और 4,23,521 धारकों को पट्टे दिए जा चुके हैं।

32. बंजर जमीन को हरा–भरा बनाते हुए भूमिहीन पिछड़े परिवारों के जीवन–यापन का जरिया बनाने वाली योजना '' इंदिरा हरेली सहेली '' मेरी सरकार की सफल योजना साबित हुई, जिसके तहत 9701 व्यक्तियों को करीब 6044 हेक्टेयर भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं, इसके अलावा छोटे–बड़े झाड़ जंगल के रूप में अंकित 44,588 हेक्टैयर भूमि वृक्षारोपण हेतु 48,423 लोगों को अनुबंध पर दी गई है।

33. मेरी सरकार ने प्रचलित परिपाटियों को व्यापक जनहित में बदलने के जो बड़े साहसिक फैसले लिए हैं, उनमें शिक्षा भी शामिल हैं। इस सिलसिले में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता तथा विद्यार्थियों में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए छात्रसंघ चुनाव प्रारंभ किए गए। उच्च शिक्षा परिसरों में नवागंतुक छात्रों को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए ''एंटी रैगिंग कानून'' लागू किया गया।

34. मेरी सरकार ने राज्य के सुनियोजित विकास का एक बुनियादी माध्यम शिक्षा को बनाया है। राज्य में शिक्षा के व्यावहारिक, रोजगारपरक तथा वास्तविक रूप से व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोगी बनाने का काम सुविचारित ढंग से किया जा रहा है, ताकि वह युवाओं को न सिर्फ आजीविका के अच्छे अवसरों का लाभ उठाने लायक बनाये, अपितु ज्ञानवान समाज में नागरिक दायित्व बोध भी जगाए। पिछड़े इलाकों में ''सम्पूर्ण साक्षरता'' की दिशा में ठोस प्रगति के लिए ''ज्ञान विकास योजना'' की संकल्पना रखी गई है। स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक ओर जहां राज्य की सभी प्राथमिक शालाओं में पहली कक्षा से अंग्रेजी अनिवार्य की गई। वहीं दूसरी ओर 664 स्कूलों को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए चुना गया, इसमें से 200 स्कूलों में यह पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा शुल्कों में भारी कमी की गई। सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा की शुरूआत वैसे तो निर्धन बालिकाओं

के लिए '' इंदिरा सूचना शक्ति '' के तहत 419 स्कूलों को चिन्हित करने से की गई, लेकिन धीर–धीरे इस निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा का दायरा बढ़ा कर, अब कक्षा नौ से बारह तक की सभी छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा महाविद्यालयों में भी विशेष कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चालू किए गए हैं।

35. उच्च और विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की कमी की समस्या दूर करने के लिए मेरी सरकार ने ''छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय स्थापना तथा विनियमन'' कानून की पहल की है और, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र का बड़े पैमाने में पूंजी निवेश सुनिश्चित किया जा सकेगा।

36. राज्य में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कारगर ढंग से किया जा रहा है। इन तबकों की शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान देते हुए मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर आवासीय शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाई। इस प्रकार 46 भवन विहीन आश्रमों को भवन उपलब्ध कराने के साथ ही 81 हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों तथा अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावास भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में 25 मिडिल, 21 हाईस्कूल तथा 4 हायर सेकंडरी शालाएं प्रारंभ की गई हैं। इन तबके के बच्चों को आर्थिक प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति दरों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। गुणवत्ता में सुधार के लिए जिन शालाओं में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उनमें से 80 शालाएं अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति विभाग की भी हैं। वर्ष 2002–2003 में शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत अन्य भवन विहीन संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा।

37. छत्तीसगढ़ में औपचारिक शिक्षा के अवसरों और स्तर में वृद्धि के प्रयासों के साथ ही मेरी सरकार ने गांव–गांव में ज्ञान और जानकारियों के प्रति जागरूकता का अच्छा वातावरण बनाने के लिए '' राजीव ज्ञानोदय '' की शुरूआत की थी। जिसके तहत गांव–गांव में राजीव ज्ञानोदय केन्द्र खोले जा रहे हैं जो वाचनालय भी होंगे, विचार मंच भी और ''गांव ला चलव'' लोक अभियान के केन्द्र भी। इस तरह से गांव–गांव में लोगों की जानकारियां बढ़ने से लोग अपने विकास के अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। प्रत्येक गांव में जनता द्वारा बनाई जाने वाली '' जन रपट '' प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गांव और छत्तीसगढ़ सामर्थ्य का दस्तावेज होगी । छत्तीसगढ़ की अस्मिता की प्रतीक '' छत्तीसगढ़ी '' को समुचित रूप से विकसित करने के लिए प्रत्येक जिले के छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों, अध्येताओं और वाचिक परंपरा के गुणियों का सहयोग लिया जा रहा है । राज्य की विभिन्न बोलियों के मध्य सेतु निर्माण तथा वाचिक परंपरा के साहित्य अभिलेखन के लिए प्रदेश तथा जिला स्तर पर विविध आयोजन कर छत्तीसगढ़ी के उन्नयन हेतु सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं । इसे राजभाषा का दर्जा दिलाए जाने की विशेष पहल के तहत एक कार्यदल का गठन कर दिया गया है । यह दल छत्तीसगढ़ को भाषा के रूप में मान्यता दिलाए जाने के लिए कार्य योजना

बनाएगा । राजीव ज्ञानोदय केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक गांव के मांग पत्र संकलित कर आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

38. यह गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हमारे राज्य के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी उत्कृष्ट खेल व वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सब जूनियर तथा जूनियर बालिका राष्ट्रीय बॉस्केटबाल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक मिलना राज्य की गौरवपूर्ण उपलब्धि है। मेरी सरकार राज्य में खेलों की अधोसंरचना के विकास के लिए जशपुर, कोण्डागांव, कवर्धा, राजनांदगांव, कोरिया में इण्डोर तथा आऊटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए प्रयासरत है। जशपुर तथा कोण्डागांव के लिए 80 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। जशपुर में एस्ट्रोटर्फ भी लगाया जाएगा और इसे हाकी की रोपणी के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी जिलों में खेल मैदानों का निर्माण भी कराया जाएगा। रायपुर में 50 लाख रूपये की लागत वाले राजीव गांधी स्पोर्ट्स हास्टल का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा रायपुर और छत्तीसगढ़ की गरिमा के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। गांवों में आदिवासियों की नैसर्गिक खेल प्रतिभा के विकास के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टलों के निर्माण की रूप रेखा भी बनाई गई है।

39. मेरी सरकार ने सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों की धुरी महिलाओं को माना है, इसलिए महिलाओं के सम्मान को उनकी आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण नीति बनाई है । सरकार द्वारा चालू की गई अभिनव योजनाओं के साथ प्रचलित योजनाओं का ऐसा समन्वय किया गया है कि हर परिस्थिति की नारियों को तरक्की के अवसर मिलें । एक ओर जहां किसी भी नारी को बेसहारा नहीं रहने देने के लिए प्रतिबद्ध '' इंदिरा सहारा योजना '' के तहत 88,004 विधवा–परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 2,753 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 2,17,099 तथा वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1,34,092 महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। राज्य में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु 28,000 से अधिक महिला स्वसहायता समूह का गठन किया जा चुका है और इन समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए ''इंदिरा महिला योजना पुनरीक्षित ''एवं'' स्वशक्ति परियोजना'' के क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है। किशोरियों को भविष्य के मातृत्व के लिए तैयार करने वाली ''किशोरी शक्ति योजना'' 96 विकासखंडों में लागू की जा चुकी है । इसके अलावा राष्ट्रीय मातृत्व योजना, बालिका समृद्धि योजना, आयुष्मति योजना, दत्तक पुत्री योजना तथा महिला जागृति शिविरों के आयोजन जैसे तमाम उपायों को बेहतर समन्वय और प्रभावी ढंग से संचालित किया गया हैं । निःशक्तजनों के कल्याण के लिए रायपुर में '' स्टेट रिसोर्स सेन्टर '' की स्थापना की जा रही हैं, जिससे पुनर्वास हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक कारगर कदम उठाए जा सकें । समाज कल्याण के लिए सरकारी तंत्र में व्यापक संवेदनशीलता जगाने तथा व्यापक जनभागीदारी का वातावरण बनाने में मेरी सरकार ने अहम् योगदान दिया है । रायपुर में मंडी स्तर पर उपलब्ध निराश्रत निधि से राज्य स्तरीय मानसिक चिकित्सालय शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है।

40. प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य में ''नवीन सार्वजनिक वितरण मास्टर स्कीम'' प्रारंभ की गई है। प्रचलित व्यवस्था के अलावा नए मापदंड निर्धारित कर जहां बिना हानि प्रतिपूर्ति के दुकान चलाने में सहकारी समितियां असमर्थ हैं, वहां निजी व्यक्तियों को भी उचित मूल्य दुकानें आबंटित की गई हैं । गरीबों में सर्वाधिक गरीब को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ''अन्त्योदय अन्न योजना'' तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन से वंचित 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ''अन्नपूर्णा योजना'' का क्रियान्वयन भी कारगर ढंग से प्रारंभ किया गया है।

41. राज्य में कानून और व्यवस्था का स्तर उन्नत बनाने में पुलिस की अनुशासित, अच्छे नागरिकों के लिए दोस्ताना और जरूरतमंदों के लिए संवेदनशील छवि का योगदान उल्लेखनीय रहा है । सभी जिलों में अपराध नियंत्रण शाखाओं को सशक्त बनाने से गंभीर और सफेदपोश अपराधियों की गतिविधियों में प्रभावी अंकुश लगा है । राज्य बंटवारे से छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की कमी के बावजूद पुलिस की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक पुलिस जोन तथा दो नये पुलिस जिले बनाए गए हैं । युक्तियुक्तकरण द्वारा कब उपयोगी पदों को समाप्त कर मैदानी क्षेत्रों में तैनाती बढ़ाई गई हैं, इस तरह पुलिस की दक्षता और मनोबल में बढ़ोत्तरी हुई है ।

42. मेरी सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समस्या के निराकरण के लिए सड़क–पुल निर्माण जैसी अनिवार्य जीवनोपयोगी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है, वहीं आर्थिक–सामाजिक विकास के गहन प्रयासों को प्राथमिकता दी है । इसके साथ ही पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए अत्याधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है । पुलिस वेब साइट बनाई गई है । इस तरह पुलिस को जनोन्मुखी और मानवाधिकारों की प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

43. मेरी सरकार अपराधियों को सजा दिलाने के बाद उन्हें सुधार कर वापस समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर देने पर विश्वास करती है, ताकि उनका शेष जीवन सकारात्मक, उनके परिवार और समाज के लिए उपयोगी हो । इस दिशा में जेलों के आधुनिकीकरण और बंदियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के प्रबंध किए जा रहे हैं । कोरबा जिले के अंतर्गत कटघोरा में उपजेल प्रारंभ की गई ।

44. वैध परिवहन से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था तथा राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए दो नये उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। कर अपवंचन की रोकथाम तथा कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए पाटे कोहरा और भगतदेवरी में कम्प्यूटरीकृत तौल–कांटा स्थापित करना प्रस्तावित है। करों व शुल्क की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। इस प्रकार समग्र प्रयासों से विगत वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के लक्ष्य की ओर पहुंचने में सफलता मिली है। इसके अलावा राज्य में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए जांच केन्द्रों की स्थापना शीघ्र कर दी जाएगी।

45. मेरी सरकारी मानता है कि अपनी माटी के गौरव पुरूषों की याद को चिरस्थायी बनाना, न सिर्फ अपने संस्कारों तथा गौरवपूर्ण विरासत के माध्यम से आत्म सम्मान का भाव जगाता है, वरन अपनी माटी के प्रति कर्तव्य भावना को भी मजबूत बनाता है। इससे संस्कृति और मूल्य आधारित विकास का सिलसिला जारी रखने में मदद मिलती है। इस दृष्टिकोण के साथ दो–दो लाख रूपये के ग्यारह सम्मान–पुरस्कारों की घोषणा की गई और देश के ख्यातिनाम विशेषज्ञों की चयन समिति गठित कर योग्यतम प्रतिभाओं का चयन किया गया । इन सभी ग्यारह विलक्षण प्रतिभाओं को राज्य स्थापना समारोह में सम्मानित किया गया । यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक जागृति के प्रणेता यति यतनलाल, स्वतंत्रता संग्राम में बस्तर के प्रसिद्ध भूमकाल आंदोलन के नायक गुण्डाधूर, छत्तीसगढ़ के महान संत तथा दलितों और शोषितों को सतनाम की शिक्षा देने वाले गुरू घासीदास, छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों को उत्थान और सम्मान की राह दिखाने वाली मिनीमाता, अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के जनक तथा सामाजिक सद्भावना के प्रकाश स्तम्भ पं. रविशंकर शुक्ल, छत्तीसगढ़ में राजनैतिक, साहित्यिक और सामाजिक जागृति के प्रणेता पं. सुन्दलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में किसान और आदिवासी आंदोलनों के प्रेरणा–स्त्रोत तथा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न–दृष्टा डॉ.खूबचन्द बघेल, विभिन्न ललित कलाओं के संरक्षक और प्रेरक राजा चक्रधर सिंह, छत्तीसगढ़ की लोक–कला को समृद्ध बनाने और कला के रूप में सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले दाऊ मंदराजी एवं कुशल राजनेता तथा निर्भीक पत्रकार रहे स्वर्गीय चन्दूलाल चन्द्राकर की स्मृति में दिए गए हैं ।

46. छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए मेरी सरकार ने सीधे हस्तक्षेप नहीं कर, स्वाभाविक विकास का रास्ता चुना है, जिसमें सरकार की भूमिका संसाधन जुटाने के लिए सहयोग करने और प्रोत्साहन देने की होगी। इस भूमिका के अनुरूप विविध समारोहों के आयोजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अनुदान देकर जन भागीदारी सुनिश्चित की गई हैं । छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरासंपदा को संरक्षित करने हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं । जनजातीय एवं लोक संस्कृति के आयामों, पारंपरिक नृत्य–संगीत, शिल्प आदि के प्रदर्शन, सृजन तथा प्रशिक्षण आदि हेतु मुक्तांगन संग्रहालय योजना को मूर्त रूप देने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है । साथ ही 11 वें वित्त आयोग के अंतर्गत पूरे प्रदेश में पुरातत्व संरक्षण, अनुरक्षण के कार्य, सार्वजनिक पुस्तकालयों के उन्नयन व आधुनिकीकरण का कार्य भी आरंभ किया जा रहा है । राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप व्यापक प्रयास तथा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए बहुआयामी सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु भी योजना तैयार की गई है ।

47. छत्तीसगढ़ की विशिष्ट भौगोलिक, प्राकृतिक स्थिति, पुरातात्विक महत्व के स्थलों तथा सांस्कृतिक संपन्नता को मेरी सरकार ने '' पर्यटन '' की अपार संभावनाओं के रूप में पहचाना हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि पर्यटन विकास ग्रामों तथा ग्रामीणजनों की समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। इसलिए राज्य में पर्यटन विकास के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए हैं। पर्यटन स्थलों की अधोसंरचना विकास के लिए विशेष

प्रयासों के साथ ही राज्य तथा देशव्यापी प्रचार–प्रसार का अभियान चलाया गया है। पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं भोरमदेव के जीर्णोद्धार के लिए केन्द्र से 14 लाख रू. की सहायता प्राप्त की गई है। राज्य में पर्यटन विकास की 384 लाख रू. की समग्र योजना तैयार कर, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की गई है, जिसमें 250 लाख रू. केन्द्र का तथा 134 लाख रू. राज्य का अंश है । इसके अलावा राज्य शासन द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य उपयुक्त पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिस्ट साइनेजेज स्थापित किये जाएंगे । पर्यटन परिपथों का निर्माण किया जाएगा । ईको–टूरिज्म के अंतर्गत अचानकमार अभ्यारण्य, भोरमदेव, कांगेरघाटी आदि में आवश्यक पर्यटन सुविधाएं निर्मित की जाएंगी । रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर आदि रेल्वे स्टेशनों तथा प्रदेश के बाहर दिल्ली, कोलकाता आदि जैसे महानगरों पर पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किये जाएंगे । रायपुर हवाई अड्डे पर भी सूचना केन्द्र स्थापित किया जाएगा । रायपुर के '' बूढ़ातालाब '' को बोट क्लब के रूप में और अधिक विकसित किया जाएगा । गंगरेल तथा कोडार में प्राकृतिक जलक्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी । बारनवापारा अभ्यारण्य के लिए विशेष पैकेज टूर प्रारंभ कर दिया गया है ।

48. मेरी सरकार राज्य में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तबकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। । इन वर्गो के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त–दुरूस्त किया गया है, वहीं आवश्यकतानुसार प्रचलित व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन भी किए गए हैं । आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में वार्षिक आयोजना की सीमा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करना इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है । राज्य में परिवार मूलक कार्यक्रमों के साथ आदिवासी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास हेतु 18 एकीकृत विकास योजनाएं, 9 माडापाकेट, 2 लघुअंचल संचालित है । राज्य की विशेष पिछड़ी जन जातियों पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया के उत्थान के लिए 6 विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण संचालित है । बेहतर नतीजों एवं माडा तथा लघु अंचल क्षेत्र के एकीकृत विकास के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी । उद्यमी विकास संस्थान का गठन भी प्राथमिकता के साथ किया जाएगा ।

49. श्रमिकों के श्रम का सम्मान करने के साथ ही उनके सामाजिक–आर्थिक उत्थान की दिशा में मेरी सरकार ने सार्थक कदम उठाए हैं । मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में जैसे कृषि, हम्माल, रेजा आदि अनेक क्षत्रों में काम कर रहे मजदूरों की बेहतरी के लिए विशेष ध्यान दिया गया है । प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा–पूरा लाभ दिलाने के साथ ही बिलासपुर में बीड़ी श्रमिकों के लिए 284 आवासों का निर्माण भी कराया जा रहा है और निकट भविष्य में ये सभी आवास बीड़ी श्रमिकों को आबंटित कर दिए जाएंगे । डोंगरगढ़ में भी 200 आवास गृह निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गई है तथा निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा । राजनांदगांव के लिए 200 मकानों का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा गया है । श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण में जनभागीदारी सुनिश्चत करने हेतु श्रम सलाहकार मंडल का

गठन किया गया है । श्रम कल्याण मंडल का गठन कर श्रम कल्याण गतिविधियां संचालित की जा रही है । प्रदेश में श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में पर्याप्त एवं बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के तहत इसी वित्तीय वर्ष में चांपा एवं हथखोज (भिलाई) में दो नये औषधालय प्रारंभ करने की स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है एवं प्रदेश में 50 शैया वाले अंतःरोगी चिकित्सालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है ।

50. राज्य में सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में मेरी सरकार ने अपनी ही पहल को अमली जामा पहनाने के ठोस प्रयास किए हैं । राज्य में विधिवत 84 ग्राम न्यायालयों का गठन किया जा चुका है । वर्ष 2001–2002 के द्वितीय अनुपूरक बजट में ग्राम न्यायालयों के सदस्यों को मानदेय भुगतान हेतु 21,62,000 रू. प्रावधान किया गया है । लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ में 31 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित किए गए हैं । उनमें से 28 फास्ट ट्रेक कोर्ट भवन निर्माण हेतु 95,20,000 रू. की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया है । फर्नीचर उपकरण के लिए 44,80,000 रू. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को आबंटित किया गया है एवं एक करोड़ 24 लाख 77 हजार रू. स्थापना व्यय के लिए उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराए गए हैं । दंतेवाड़ा, कवर्धा, जनकपुर (सरगुजा), उच्च न्यायालय, बिलासपुर के लिए न्यायालय भवन तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर के लिए सभागृह, वाचनालय निर्माण हेतु 2 करोड़, 26 लाख 6 हजार रू. की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

51. मेरी सरकार ने कठोर वित्तीय नियंत्रण की राह पर चलना मंजूर किया और प्रशासनिक व्यय को राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत तक सीमित रखने का फैसला किया था । मुझे खुशी है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक मिसाल बन कर उभरा है । दृढ़ इच्छा शक्ति से यह लक्ष्य प्राप्त किया गया है । छत्तीसगढ़ को वार्षिक योजना और आगामी पंचवर्षीय योजना में यथोचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने काफी कुशलता से तैयारी की और अपना मत तथा प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग के सामने प्रभावशाली ढंग से रखने में सफल हुई । विश्व प्रसिद्ध अर्थ विशेषज्ञों की सलाह लेकर राज्य को आर्थिक जगत के नवीनतम और अनुभवों से पुष्ट अवसरों का लाभ दिलाने के लिए '' आर्थिक सलाहकार परिषद् '' का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं हैं । इस परिषद में मनोनीत सदस्यों की सेवाओं से राज्य का आर्थिक परिदृष्य तेजी से बदलने में मदद मिलेगी।

52. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने विगत अल्पावधि में ही राज्य से ''सबसे अमीर धरती–सबसे गरीब लोग'' का विरोधाभास समाप्त करने और उसे अमल में लाने के लिए यथोचित सरकारी तंत्र खड़ा करने की उपलब्ध हासिल की है । एक ओर जहां जनता को सामयिक तकलीफों से उबारने के लिए किसी भी हद तक जाकर सहयोग करने की इच्छा शक्ति और तत्परता दिखाई गई है, वहीं दूसरी ओर मेरी सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में जनसहयोग से अभिनव लोकनीतियां बनाई गई हैं, जिनसे वे रास्ते भी साफ नजर आने लगे हैं, जिन पर व्यापक जनभागीदारी से चलकर राज्य तेजी से विकास करेगा तथा विकास का महत्वपूर्ण

हिस्सा जनता को मिलेगा । मैंने गौर किया है कि मेरी सरकार के साथ आम जनता ने तथा जनता के नुमाइन्दों के रूप में आप सभी ने, एकजुट होकर राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने और तरक्की का आदर्श वातावरण बनाने के लिए सहयोग दिया है । मैं कामना करता हूं कि विकास हित में यह एकजुटता व सहयोग आने वाले समय में और मजबूत हो ।

**धन्यवाद । जय हिन्द ।**